तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम0 3 अजमेर** **दीवानी वाद सख्या 02/2017(08/15)** **सीआईएस संख्या 16/2015** **कृष्ण गोपाल नवाल बनाम श्रीमती शिल्पा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.12.2025	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्षों की सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता वादी की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये निवेदन किया गया कि वादी द्वारा प्रकरण में तहरीरनामा दिनांक 30.11.2013 प्रस्तुत किया गया है, जो कि वाद का आधार है। जिसको न्यायालय द्वारा पर्याप्त स्टाम्प पर निष्पादित नहीं माना गया है तथा उक्त दस्तावेज साक्ष्य में पेश करने हेतु पर्याप्त स्टाम्पित करवाना आवश्यक है। अतः उक्त दस्तावेज को पर्याप्त स्टाम्पित करवाने हेतु भिजवाया जावे। जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन किया गया कि न्यायालय द्वारा पूर्व में ही दस्तावेज को अग्राह्य कर दिया गया है। उसी समय वादी को उक्त निवेदन करना था, अब जबकि न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है। उक्त दस्तावेज को स्टाम्पित हेतु भिजवाना न्यायालय के आदेश के पुनर्विलोकन की श्रेणी में आयेगा। किसी प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 19.09.2025 द्वारा प्रश्नगत दस्तावेज को बॉण्ड की परिभाषा में समाहित होना मानकर, बिना उचित स्टाम्प के निष्पादित होने के कारण साक्ष्य में अग्राह्य किया गया है। जिस परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त दस्तावेज को पूर्ण स्टाम्पित करवाने हेतु भिजवाने का निवेदन किया गया है। न्यायालय के मतानुसार उक्त दस्तावेज जिसके आधार पर हस्तगत वाद पेश किया गया है, को पूर्ण स्टाम्पित करवाये बिना साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता है तथा साथ ही उक्त दस्तावेज को पूर्ण स्टाम्पित करवाने का आदेश दिया जाना किसी प्रकार पूर्व में पारित आदेश दिनांक 19.09.2025 के पुनर्विलोकन की श्रेणी में नहीं आता है। चूंकि उक्त आदेश द्वारा स्पष्ट तौर पर दस्तावेज को अपर्याप्त स्टाम्पित घोषित किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध उभय पक्षों द्वारा कोई चाराजोही किया जाना दर्शित नहीं है तथा उक्त दस्तावेज प्रकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर वाद पेश किया गया है, जो कि पर्याप्त स्टाम्पित होना दर्शित नहीं है। अतः न्यायोचित प्रतीत होने से वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दस्तावेज को इम्पाउण्ड कर पूर्ण स्टाम्पित करवाने	

	हेतु कलेक्टर मुद्रांक अजमेर को भिजवाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश सुनाया गया। इस स्तर पर अधिवक्ता वादी द्वारा निवेदन किया गया कि उनके द्वारा पूर्व में सहवन से जमा करवायी गयी कोस्ट राशि वापसी बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिस सम्बंध में कैशियर की रिपोर्ट तलब की जावे। पत्रावली वास्ते इंतजार दस्तावेज/कैशियर रिपोर्ट हेतु दिनांक 05.01.2026 को पेश हो। **(नीरज गुप्ता)** **अपर सेशन न्यायाधीश,** **क्रम–3, अजमेर**	